

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/216873/ALB/ALLAHABAD/4946/CFO

दिनांक : 04-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SARASWATI BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **CHAK DAUD NAGAR NAINI, -, PRAYAGRAJ** तहसील - **KARCHHANA** प्लॉट एरिया **4408.22 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4836.8** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SARASWATI BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-09-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJENDRA PRASAD TIWARI, 9935178527, VIRAJTIWARI2309@GMAIL.COM** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-09-2026** से **08-09-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SARASWATI BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SARASWATI BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : The instant NOC is being issued based on site visit observation and recommendation made thereon with following conditions- 1-भवन में ढाँचागत परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण कराने की दशा में पुनःअनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 2-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखना अनिवार्य होगा. 3-प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा करअग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा। 4. Ensure the availability of OH Tank capacity upto 10000 L on both side(01 No of tank at each side) of building with another two more down comer water pipe line and 02 more staircase of width 1.5m each within 45 days.

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-09-2026
स्थान : ALLAHABAD

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

CHANDRA MOHAN SHARMA

1F9C86CA1CE56057A80F4E1EF308631920A95982

09-09-2026



Please check the authentication of NOC by verifying the UID at department of fire.